राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration

Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ☐ Rajasthan ☐ India

सत्यमेव जयते

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (OTS), J.L.N. MARG, JAIPUR

RATE CONRACT FOR AMC FOR 4 Nos SENSOR DOOR

NOTICE INVITING BID

NIB 23112 **Date** 18/03/2025

Sr. No.	Description	Remark
1.	Service required	MAINTANANCE OF 4 Nos Sensor Door
2.	Estimated value of work	**Rs. 2,50,000/- (Two lakh fifty thousand only)**
3.	Cost of BID Document	Rs. 200/- (Rupees Two Hundred only) (Non-refundable) Either Cash, Bankers Cheque or DD only Drawn in favour of Director, HCM RIPA , Jaipur
4.	Amount of Bid Security	2% amount of NIB Cost
5.	Date and Time of uploading of BID Document	18.03.2025
6.	Last Date for submission of BID	27.03.2025 Upto Time 1.30 Pm
7.	Date/Time/Place of opening of Bid	27.03.2025 At 3.00 Pm Nerhu Bawan, Room No. 212
8.	Websites for downloading Bid Document,Corrigendum's/ Addendums etc.	www.hcmripa.gov.in **http://sppp.raj.nic.in**
9.	Validity of Bid	90 days from the date of opening of BID
10.	Performance Security	5% the amount of Supply order

Singal Envelop Sealed unconditional Rate Contract Bids are invited on behalf of the Governer of Rajasthan/HCM RIPA (OTS), Jaipur for the procurement of 4 Nos Sensor Door Maintanance work for the period of one year from eligible bonafied bidders. The bidding document (along with BID SECURITY duly filled and signed) should be addressed to the Director General, HCM RIPA, JAIPUR:-

0141-2706556, 2715222 ☐ Fax: 0141-2705420

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration

Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

1. Detail of this bid notification and qualification criteria can also be seen on website www.hcmripa.gov.in & **http://sppp.raj.nic.in**.
2. The bid security/ performance security may be given in the form of banker's cheque or demand draft/bank guarantee in specified format of a scheduled bank.If for any reason, the date of opening of Bid be a holiday, the same shall be opened at the same time on next working day.
3. The bidder who had downloaded the BID document from procurement portal should submit separate DDs i.e cost of BID document amount Rs.200/- (Two Hundred Only) and **BID SECURITY amount Rs 5,000/-(Five Thousand Only)** else BID document for the bid will not be accepted. RIPA reserves the right to accept / reject any of the BID(s) without assigning any reason whatsoever and shall be final and binding.
4. Jurisdiction for any legal metter will be Jaipur (Rajasthan) only.

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं विभागाध्यक्ष

कमांक: 23113 दिनांक: 18/03/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ए.सी.पी., ह.च.मा.रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त बोली का प्रकाशन SPPP पोर्टल पर तथा रीपा वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं विभागाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

1. Address to (Bidding Authority) Director General, HCM RIPA, Jaipur
2. Last date of submitting Bid Time 1:30 PM Date:27.03.2025
3. The Bid fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No...
4. In lieu of Bid Security a Bid Security Declaration shall be taken in the format, enclosed with the Bid.
5. We agree to abide by all the conditions mentioned in the Bid notice mentioned above and issued by the Bidding authority and also the future conditions of the said Bid notice given in the attached sheets.
6. The successful Bid is required to execute agreement on Stamp Paper with HCM RIPA as per Stamp Act.
7. The details of the items/services to be procured along with Specifications are given in terms & Condiions of Bid.

Signature of Bidder with stamp

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

JAIPUR – 302017

1 BID FOR AMC FOR 4 Nos SENSOR DOOR

2 INFORMATION OF FIRM:-

A	Name of the firm	
B	Postal address	
C	Telephone No.	Residence:
		Office:
		Mobile:
D	Fax No.	
E	Email	
F	Name of Contact person	
	Telephone No.	
	Mobile No.	
G	Firm Registration No.	(Enclose copy)..............
H	GST No.	(Enclose copy)..............
I	PAN No.	(Enclose copy)..............
J	Experience certificate for last 3 year (copy of work order issue by govt. deptt./semi govt. deptt./Central govt. deptt. Should be enclosed)	(Enclose copy)..............
K	Minimum annual ternover 10 lac for last 2 years (Copy of balance sheet certified by CA for last two Finacial Year ie. 2022-23 & 2023-24)	(Enclose copy)..............
L	Annexure A,B,C,D as per RTPP Rules	(Enclose copy)..............

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,

जयपुर–302017

एक वर्षीय अनुबंध एंव सेवायें प्रदत्त करने के संबंध में खुली बोली (संविदा दरे) के लिए बोली एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणीः– बोली दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1 बोली निश्चित दिनांक एवं समय तक बोली सूचना में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द की जाकर प्रस्तुत की जाएगी। विलम्ब/देरी से प्राप्त बोलियों पर तथा विहित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबध में फर्म/कम्पनी में किसी भी नए भागीदारों/ठेकेदार/निदेशकों को फर्म/कम्पनी में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी संविदा की समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

4 बोलीदाता जी.एस.टी में पंजीकृत होना आवश्यक है। बोली के साथ जी.एस.टी प्रमाण–पत्र के अभाव में बोली स्वीकार नही की जावेगी।

5 **फर्म** को जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति सलंग्न की जावे।

6. बोली प्रारूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोली दाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7. दरों में कोई त्रुटियाँ एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए एवं प्रस्तुत दरों के संख्यात्मक मान एवं राशि शब्दों में भिन्नता पाये जाने पर जो भी कम होगा उसे माना जायेगा।

8. **विधिमान्यताः** बोलियॉ, उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

9. अनुमोदित सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले सेवाओं की शर्तों, विनिर्देशों, आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10 सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।

11. **निरीक्षणः** (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, को किसी भी समय सेवादाता/ अनुबन्ध कर्ता के कार्य स्थल के निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।

12. अनुबन्ध/सेवा हेतु संविदा को, यदि सेवा/अनुबन्ध क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

13. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

14. (i) **सेवा प्रारम्भ करने की अवधिः–** बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी, उस सेवा/अनुबन्ध आदेश प्राप्त करने के 10 दिवस के भीतर सेवा/अनुबन्ध निष्पादित कराये जाने की व्यवस्था करेगा।

(ii) यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं/वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

1. **बोली प्रतिभूति :–**

(क) बोली के साथ बोली प्रतिभूति का घोषणा पत्र 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर (As Per Enclosed Format) प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदायः असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों से बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। इस हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्र आर टी पी पी रूल्स 42 (3) के अनुसार देना होगा।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलीओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलीओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

17 **बोली प्रतिभूति का समपहरण** :– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा।

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

18. **(1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति : –**

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 10 दिवस में संलग्न प्रपत्र में स्वयं के खर्च पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रदाय आदेश की रकम के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 10 दिवस में जमा करानी होगी। **फर्म को प्रदाय आदेश की मात्रा के आधार पर ही बोली कीमत (Bid Value) की गणना संस्थान स्तर पर की जाकर अनुमोदित फर्मों से तदनुरूप कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जावेगी।**

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/एफडीआर (विभाग के नाम) के माध्यम से जमा कराई जायेगी।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अंतिम सेवा/अनुबंध से उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
(vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरणः पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा बोलीदाता को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

19. **भुगतान** :– (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक तिमाही के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

20. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

21. **वसूलियाँ** :– परिसमापित नुकसानी, टूट–फूट या रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं ठीक किया जाता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

22. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

(I) आरटीपीपी नियम, 29 (2)(ज) रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के द्वौरान किसी भी समय राज्य मे किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविदा कीमत, कीमत कम करने/कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जावेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिये पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिये संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

23. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

24. सफल बोलीदाता को अपने खर्चे पर बोली स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में निर्धाति प्रारूप में स्टाम्प एक्ट के अनुसार नियमानुसार राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना पडेगा। बोली दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः—

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

25. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार/(सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

27. कार्य असंतोषजनक होने पर 15 दिवस के नोटिस पर उपापन संस्थान द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

28. शेष शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार मान्य होगी।

29. RTPP Act, 2012 की धारा 46 के तहत् विवर्जित फर्म बोली मे भाग लेने की पात्र नहीं होंगी।

30 उपापन प्रक्रिया के दौरान बोली दस्तावेजो में विहित प्रावधानों का उल्लधंन होने पर बोलीदाताओं द्वारा अपील की जा सकती है।

31. बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय उपापन संस्थान बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

32. आरटीपीपी एक्ट प्रावधान अनुसार एनेक्सचार ए, बी, सी, एवं डी. एवं एस. आर. फार्म पर फर्म के हस्ताक्षर कराते हुये संलग्न करें।

33. बोली शर्तो के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का स्पष्टीकरण वांछित हो तो कार्यालय समय में भण्डार अधिकारी या प्रभारी अधिकारी परिसर से प्राप्त किया जा सकता है।

34. कार्य करने वाले कार्मिक के नाम, पता फोटो पहचान पत्र आदि की प्रति कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व संस्थान व सम्बन्धित पुलिस स्टेशन पर देने की जिम्मेवादारी फर्म की होगी। इनके कार्य, व्यवहार, चरित्र के लिये फर्म पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

FINANCIAL BID

Part -A

SN	ITEM	Quantity	AMC of 04 Nos, Sensor Door Price in figure's **(With all taxes & Charges etc.)**	AMC of 04 Nos, Sensor Door Price in Words **(With all taxes & Charges etc.)**
1	AMC of 04 Nos, Sensor Door make DORMA including covrege of electrical & electronics parts, sensors, power supply, alignement and UPS with weekly inspection and monthly service in all recpect as per required at HCM RIPA, Nehru Bhawan & Krishan puri Bhawan Jaipur	04 Nos		

Part –B

SN	ITEM	Quantity	Parts Rate of Sensor Door Price in figure's **(With all taxes & Charges etc.)**	Parts Rate of Sensor Door Price in Words **(With all taxes & Charges etc.)**
2	04 Nos, Sensor Door make DORMA including covrege of electrical & electronics and consumable parts providing to rate for one year rate contract at HCM RIPA, Nehru Bhawan & Krishan puri Bhawan Jaipur Name of Parts – 1. Main Rollers 2. Timer Belt 3. Carrier Head Assembly 4. Brush Profile 5. Tuffen Glass 6. Batteries 7. Sensors 8. Selector Switch 9. Moter Assembly 10. Controle Unit 11. Counter Roller	04 Nos		

Vendors shall quote all inclusive of prices (i.e. price inclusive of all taxes, Transportation and all other expenses for delivery

Signature of the
Bidder with Stamp

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

निविदाकर्ता द्वारा पेपर लगाया गया पत्र स्वहस्ताक्षरित कीजाई

(12)

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............ Dated............ I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is [illegible]

The designation and address of the Second Appellate Authority is [illegible]

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc!

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

Jaipur

(II) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates" and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time ofaward (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted